न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार RAS

राजस्व अपील संख्या :– 18/2023

अपीलान्ट

1. रमेश पटेल गोद पुत्र श्री हेमाराम, उम्र 24 वर्ष जाति पटेल निवासी धुंधाड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सिणगारी पत्नी हेमाराम जी जाति पटेल निवासी धुंधाड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. ग्राम पंचायत धुंधाड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत नन्दवान, पंचायत समिति लूणी जोधपुर।
3. गीता पटेल पत्नी श्री श्याम पटेल, निवासी–धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

– – –

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2300 जो सरपंच ग्राम पंचायत धुंधाड़ा, पंचायत समिति लूणी द्वारा दिनांक 05.10.2023 को स्वीकार किया।

उपस्थिति : –

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा व तेजाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से हनुमान प्रजापति व प्रकाश राणावत।

दिनांक :– 16.02.2026

– :: निर्णय :: –

1. अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की नामान्तरकरण संख्या 2300 दिनांक 05.10.2023 जो सरपंच ग्राम पंचायत धुंधाड़ा द्वारा स्वीकृत किया, के विरूद्ध पेश की गई।

2. अपील का संक्षिप्त तथा सारवान तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सिणगारी के पति श्री हेमाराम करीब 40 वर्ष पहले लापता हो गये थे। हेमाराम व रेस्पोडेन्ट श्रीमती सिणगारी के कोई जायन्दा संतान पैदा नहीं हुई तथा हेमाराम के लापता होने से श्रीमती सिणगारी ने अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए तथा अपनी सेवा चाकरी के लिए अपने देवर पोकरराम के पुत्र रमेश पटेल को बाल्याअवस्था से ही पुत्र के रूप में मानकर अपीलार्थी रमेश पटेल को नियमानुसार गोद लेकर दिनांक 15.09.2020 को गोदनामा अपीलार्थी रमेश के पक्ष में उप पंजीयक लूणी के समक्ष पेश कर पंजीबद्ध करवा दिया गया इस प्रकार अपीलार्थी रमेश पटेल रेस्पोडेन्ट का गोद पुत्र होने के कारण प्रथमश्रेणी का उतराधिकारी बन गया।

3. अपीलार्थी रमेश का भाई श्याम जो अपीलार्थी से शुरू से ही द्वेष रखता है तथा ईर्ष्या करता है इसलिए श्याम ने रेस्पोडेन्ट सिणगारी को अपनी बातो में लेकर व भड़का कर एवं कई तरह के लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया व मिथ्या तथ्यो का एक वाद अपीलार्थी के विरूद्ध पेश करवा दिया। अपीलार्थी का भाई श्याम व रेस्पोडेन्ट सिणगारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

ने स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच व राजस्व अधिकारीयो से मिल कर हेमाराम जी के लापता होने के तथ्य को छिपाकर उनको मृतक बताकर मृत्यू प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया व उसी मृत्यू प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सिणगारी के पक्ष में प्रश्नगत नामान्तरकरण खोल दिया गया जबकी नामान्तरकरण यदि खोला जाता तो रेस्पोडेन्ट सिणगारी व अपीलार्थी गोद पुत्र रमेश पटेल के पक्ष में खोला जाता लेकिन इस गोदनामा के तथ्य को छिपाकर मात्र रेस्पोडेन्ट सिणगारी के पक्ष में म्यूटेशन खोला गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2300 दिनांक 05.10.2023 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक के साथ विवादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का नाम भी 1/2 हिस्सा दर्ज करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति अपील करने एवं स्थगन का भी पेश किया है।

5. अपील पेश होने पर कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

6. अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में संलग्न फॉर्म–3 के संलग्न रजिस्टर्ड गोदनामा एवं नामान्तरकरण प्रपत्र ग्राम धुन्धाड़ा का दिनांक 05.10.2023 पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

7. अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2300 दिनांक 05.10.2023 स्वीकार करने में क़ानूनी एवं वाक्याती भूल की है क्योंकि रेस्पोडेन्ट सिणगारी के पति हेमाराम करीब 40 साल पहले से लापता है। मात्र लापता होने के आधार पर उनको मृतक नही माना जा सकता ऐसी स्थिती में मृत्यू की तारीख मनगढन्त बताकर ग्राम पंचायत से मिली भगत कर मृत्यू प्रमाण पत्र हासिल किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यदि रेस्पोडेन्ट सिणगारी के पति हेमाराम की मृत्यू के आधार पर प्रथम श्रेणीयो के उतराधिकारियो के पक्ष में म्यूटेशन खोला जाता है तो अपीलार्थी गोद पुत्र होने के आधार पर अपीलार्थी का भी नाम उतराधिकारी के रूप में राजस्व रैकर्ड में दर्ज कर म्यूटेशन खोला जाना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं करने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पक्ष में रेस्पोडेन्ट सिणगारी द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामा है उक्त गोदनामा को आज दिन तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है जो कि गोदनामा आज दिन भी प्रभावी है। उक्त गोदनामा की हैसियत से हेमाराम की जायदाद में अपीलार्थी को वे समस्त अधिकार प्राप्त हो गये है जो एक प्राकृतिक पुत्र को प्राप्त होते है। इसलिए अपीलार्थी रमेश पटेल, जो हेमाराम व सिणगारी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार की श्रेणी में आता है इसलिए हेमाराम की मृत्यू के बाद उनकी सम्पति में वे तमाम अधिकार प्राप्त हो जाते है जो एक पुत्र को प्राप्त होते है। फिर भी इन कानूनी स्थिति को नजर अंदाज करते हुए हेमाराम के स्थान पर उतराधिकारी के रूप में प्रश्नगत म्यूटेशन सिर्फ रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकार किया है जो निरस्त करने योग्य है। वास्तव में मूल खातेदार हेमाराम को लापता होना अवश्य बताया गया है परन्तु उसकी सिविल डेथ होने का कोई प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा जारी नही किया गयाहै ऐसी स्थिति में उसे मृत मानते हुए उसकी भूमि बाबत विरासत का कोई नामान्तरकरण खोला ही नही जा सकता है। अतः

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट द्वारा पेश अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। रेस्पाटेडेन्ट संख्या 1 व 3 द्वारा अपीलान्ट की अपील का कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस कर कथन किया कि सिविल न्यायालय में गोदनामा निरस्त करने हेतु वाद विचाराधीन है अतः अपील खारिज की जावें।

8. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस में अपीलांट अधिवक्ता के बहस में वर्णित कथनों का खण्डन करने हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति लापता नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति हेमाराम के फौत होने पर अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सिणगारी से छलकपट कर गोदनामा तैयार किया गया। वास्तविक रूप से न ही कभी अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से गोद लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। बहस में वर्णित अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2300 का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 2300 को निरस्त कर रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर नामान्तकरण दायर करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है। वकील अपीलांट द्वारा बहस में कथन किया कि गोदनामा रजिस्टर्ड है एवं प्रभावी है जबकि वकील रेस्पोण्डेण्ट ने बहस में कथन किया कि गोदनामा अपीलांट द्वारा छल कपट द्वारा निष्पादित करवाया है और गोदनामा निरस्तीकरण के लिये सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वाद विचाराधीन रहते अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट की अपील न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी